>

Title: Discussion on the motion for consideration of the National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2011, as passed by Rajya Sabha.

MR. CHAIRMAN : Now, we will take up Item No.19A.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): I beg to move:

> "That the Bill to amend the National Council for Teacher Education Act, 1993, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The National Council for Teacher Education Act, 1993, came into force sometimes in July 1995 and the intent of the Act was to ensure that the teachers who teach our young children, acquire qualification so that quality education can be imparted to our children.

Sir, I just want to refer to some provisions of this Act. Section 2, sub-section (l) defines teacher education under this Act. It says:

> "Teacher education means programmes of education, research or training of persons for equipping them to teach at pre-primary, secondary and senior secondary stages in schools and includes non-formal education, part-time education, adult education and correspondence education."

So, it is clear from the definition of education that this applies to pre-primary, primary, secondary and senior secondary stages at schools.

Then, I would like to invite the attention of this hon. House to Section 12, sub-section (c) which says:

> "It is the duty of the Council to coordinate and monitor teacher education and its development in the country."
>
> Sub-section (d) says:
>
> "lay down guidelines in respect of minimum qualifications for a person to be employed as a teacher in schools or in recognized institutions."
>
> Then, sub-section (m) says:
>
> "take all necessary steps to prevent commercialization of teacher education."

जब इस एक्ट में सभी प्रावधान थे कि यह स्कूल्स पर लागू हो और अध्यापकों की क्या मिनिमम क्वालीफिकेशन्स होनी चाहिए, इसके द्वारा तय की जाएंगी, इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय 12 फरवरी, 2008 को आ गया। इस निर्णय में यह कहा गया कि यह एक्ट केवल टेक्नीकल इंस्टीट्यूशन्स पर लागू होगा, यह स्कूल्स पर लागू नहीं है। इसलिए एक्ट के द्वारा जो मिनिमम क्वालीफिकेशन्स, जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई हैं, जो स्कूल्स पर लागू हो सकती हैं, वे लागू नहीं होंगी। वर्ष 1993 का यह एक्ट 1995 से चल रहा है, सभी राज्यों ने इसको अपनाया है और और वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट आ गया।

उसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि वहां भारत सरकार रिस्पॉंडेंट थी ही नहीं।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.पू.): क्या आपने बहस की थी?

श्री कपिल सिब्बल: जी नहीं, रिस्पॉंडेंट सरकार थी ही नहीं, केन्द्र सरकार को नोटिस ही नहीं दिया गया और फैसला हो गया।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): फिर रिस्पॉंडेंट कौन थे?

श्री कपिल सिब्बल: मैं बताता हूं। रिस्पॉंडेंट था इसमें, बेसिक एजुकेशन बोर्ड, उत्तर प्रदेश बनाम उपेन्द्र राय।

श्री निशिकांत दुबे : जज कौन था?

श्री कपिल सिब्बल: यह कहना ठीक नहीं होगा कि कौन जज था।

MR.CHAIRMAN : It is not necessary to bring in the name of the Judge here.

श्री कपिल सिब्बल: जज हमारा आदर करें या न करें, हम फिर भी उनका आदर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 22 में यह कहा, मैं कोट करता हूं:-

"It may be mentioned that the word institution is defined in Section 2(e) of the Act to mean an institution which offers training in teachers' education. Thus NCT Act does not deal with ordinary educational institutions like primary schools."

मैंने तो आपको पढ़कर बता दिया। It deals with primary schools, upper primary schools, all other schools. तो हमने सोचा कि एक संशोधन लाया जाए कि यह चर्चा दोबारा कोर्ट्स में कभी न जाए और बात क्लियर हो जाए। इसी वजह से हम यह संशोधन आपके सामने लाए हैं। So, what we have done and I want to inform the distinguished Members through you. हमने सेक्शन वन में सब क्लाज़ चार का एडिशन कर दिया है। उसमें कहा है,

"Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall apply to institutions, students and teachers of the institutions, schools imparting pre-primary, primary, upper primary, secondary or senior secondary education and colleges providing senior secondary or intermediate education irrespective of the fact by whatever names they may be called and teachers for schools and colleges referred to in sub-clause.(c)"

ताकि आने वाले दिनों में कोई भी न्यायाधीश को यह सोचना न पड़े कि क्या यह स्कूल्स पर लागू है या नहीं या बाकी संस्थाओं पर लागू है या नहीं। इसलिए अब यह बात हमने क्लियर कर दी है। साथ-साथ सेक्शन टू में, क्योंकि कई म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के भी स्कूल्स हैं। कल कोई न्यायाधीश या न्यायालय कह सकता है कि चलिए अपर प्राइमरी स्कूल्स और स्कूल्स तो हैं ही, लेकिन म्यूनिसिपल स्कूल्स पर लागू नहीं है। कल यह भी हो सकता है इसलिए हमने वह भी क्लियर कर दिया है। इसमें लोकल अथोरिटीज को भी डिफाइन कर दिया है।

By putting section 2(e)(a).

"Local authority means Municipal Corporation, Municipal Committee, Municipal Council, Zila Parishad, District Board and other Panchayats."

जो भी स्कूल्स ये संस्थाएं चलाती हैं, सब न्यूनतम योग्यताएं होंगी, वे एनसीटी द्वारा तय की जाएंगी। स्कूल को भी हमने डिफाइन कर दिया।

"School means any recognized school imparting pre-primary, primary, upper primary, secondary or senior secondary education or a college imparting senior secondary education and includes a school established and owned and controlled by the Central Government or the State Government or a local authority, a school receiving aid or grants to meet whole or part of its expenses from the Central Government or the State Government or a local authority or a school not receiving any aid or grant to meet whole or part of its expenses from the Central Government, the State Government or a local authority. "

The idea being we have covered every possible school run by any institution in this country, may it be a local authority, unaided school, aided school or partially aided school. So, we have clarified that. साथ-साथ हमने सेक्शन 12-ए का एडिशन करके यह कह दिया है,

"For the purposes of maintaining standard of education in schools, the Council may by regulation determine the qualification of persons for being recruited as teachers in any pre-primary, primary, upper primary, secondary, senior secondary or intermediate school or college by whatever name called established, run, aided or recognized by the Central Government or a State Government or a local or other authority."

तो हमने यह सब स्पष्ट कर दिया है, लेकिन एक बात हमारे सामने यह भी हो सकती है कि किसी अध्यापक की नियुक्ति हुई हो, एनसीटी, राज्य के द्वारा वह पढ़ा रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह बाहर हो जाए। उसके लिए हमने प्रोवाइजो लगा दिया कि जिन अध्यापकों की ऐसी नियुक्ति हुई है, उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा, ताकि उनकी भी नौकरी सेफ है।

लगभग ये बातें हमने इस संशोधन में रखी हैं कि किस बिल पर बहस हो रही हैं? I commend these amendments to this hon. House. Thank you.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"That the Bill to amend the National Council for Teacher Education Act, 1993, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति महोदय, मैं अपनी सीट पर नहीं बैठा हूं, इसलिए मुझे यहां से बोलने की इजाजत दी जाए।

MR. CHAIRMAN: All right.

श्री वीरेन्द्र कश्यप : माननीय सभापति जी, जो यह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् संशोधन विधेयक, 2010, जो अभी माननीय मंत्री महोदय ने कुछ संशोधन लेकर यहां पेश किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि कई वर्षों से यह बिल एक्ट बना हुआ है और यह सारे देश और प्रदेशों में इम्प्लीमेंट हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् अधिनियम, 1993 की जो देश में स्थापना हुई, वह अध्यापक की शिक्षा प्रणाली को योजनाबद्ध और समन्वित तरीके से, उनके विकास के लिए, उक्त प्रणाली में मापदंडों और स्तरों के विनियमन और रखरखाव करने की दृष्टि से हुई थी। यह कार्य इतने वर्षों तक चलता रहा और जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1995 से यह कार्य ठीक प्रकार से चल रहा था परन्तु यूपी का जो एजुकेशन बोर्ड है उसका 2008 में केस लगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रुलिंग और कुछ डिसीजन दे दिया, तब हम लोगों ने समझा कि इस एक्ट में कुछ कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए आप यह अमेंडमेंट यहां आज लाए हैं। बड़ी अच्छी बात है और मुझे इस बात की खुशी है कि यह राज्य सभा में पारित भी हो गया है। यह 16 अप्रैल 2010 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था और 25 अगस्त 2011 में राज्य सभा ने पारित करके आज हमारे पास भेजा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज इस बात की जरुरत है कि हमारा जो भविष्य है यानी हमारे बच्चे हैं।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : सर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह बिल जिस पर बहस हो रही है, इसकी प्रति किसी भी सदस्य को नहीं मिली है। यहां पर तमाम मैम्बर्स बैठे हुए हैं। कंप्यूज़न पैदा हो रहा है।

MR. CHAIRMAN: It has been already circulated. I think you will receive it.

श्री वीरेन्द्र कश्यप : सभापति महोदय, आज के परिप्रेक्ष्य में इस अमेंडमेंट को लाना बिल्कुल सामयिक है और हाउस में इस पर डिस्कशन के बाद हम लोग इसे पारित करने के लिए यहां बैठे हैं और माननीय मंत्री महोदय का भी यही आशय है कि हम इसे पारित कर दें। इसमें दो सैक्शन्स हैं उनमें यह अमेंडमेंट्स लाए गये हैं। यह बात ठीक है कि हम उस सदी में हैं जब साइंस और टैक्नोलॉजी एडवांस हो गये हैं। एक जमाना था जब गुरूओं का जमाना था लेकिन आज टीचर कैसा होना चाहिए, इस बात की जरूरत है और उसके लिए पाठ्यक्रम कैसा हो, इस बात की भी जरूरत है। परन्तु मैं समझता हूं कि इसमें जो हमारा एनसीटी एक्ट है उसमें स्कूल की परिभाषा भी नहीं थी, मैं समझता हूं कि उस वजह से जो हमारी एचआरडी की स्टैंडिंग कमेटी है, उसने भी कहा कि इसमें परिभाषा डालनी चाहिए। उस कमेटी ने कहा कि :-

> "The Committee observes that nowhere in the Act the term 'school' has been defined. The Committee takes note of the opinion of the Legislative Department that the term 'school' will be construed in the generic sense. The Committee, however, is of the view that in the light of different categories of school – Government, aided, unaided, minority – there needs to be a specific definition of the term 'school' in the Act. The Committee accordingly recommends this."

आपने कह दिया कि आपने सारी इंस्टीट्यूशन को डिफाइन कर दिया है। हिंदुस्तान में स्कूल कई किस्म के हैं। आज हम कई किस्म की शिक्षा दे रहे हैं। गरीब लोगों को अलग और अमीर लोगों को अलग किस्म की शिक्षा दी जा रही है। शहर के लोगों को अलग और गांव के लोगों को अलग शिक्षा दी जा रही है। यह बात ठीक है कि जब हमारा संविधान बना, उसमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स लिए और हमने कहा कि छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। हम आजादी के इतने वर्षों बाद वर्ष 2009 में वह बिल लाए। आपके माध्यम से वह बिल पेश हुआ, पारित हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ। हमें यह बिल लाने में 60 साल का समय लग गया। शिक्षा के लिए हमारे देश में कमेटियां बनीं, कमीशन बनें। बेसिक बात यह थी कि हम सभी को शिक्षा देना चाहते थे। हिंदुस्तान में गरीबी बहुत ज्यादा है। हम उन बच्चों को भी शिक्षा देना चाहते हैं, जिनके पास दो समय का खाना भी नहीं है। मैं स्वयं टीचर रहा हूं। मुझे याद है, जब हम प्रार्थना सभा में जाते थे तो कई बच्चे चक्कर खा कर गिर जाते थे। उनसे पूछने पर पता चलता था कि उन्होंने कल शाम से खाना नहीं खाया है। मैं अपने एचआरडी मिनिस्टर को कहना चाहता हूं कि आरटीई एक्ट लाए हैं, हमने उनका स्वागत किया है। यह अच्छी बात है कि हम फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन अपने बच्चों को दे रहे हैं। मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं, जिनकी आवश्यकता है। आपने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि टीचर की क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसकी जरूरत इसलिए है, क्योंकि आज टीचर अन-क्वालिफाइड है। उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं है। मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं। असम में 61 प्रतिशत नियुक्त अध्यापक अनट्रेंड हैं। अरूणाचल प्रदेश में 75 प्रतिशत, नागालैंड में 71 प्रतिशत, मेघालय में 70 प्रतिशत, बिहार में 49 प्रतिशत और त्रिपुरा में 57 प्रतिशत, झारखंड में 45 प्रतिशत और जम्मू-कश्मीर में भी 45 प्रतिशत है और दूसरे राज्यों में भी कुछ हद तक ऐसा ही है। इसका कारण क्या हो सकता है कि एजुकेशन देने वाले टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। इसका बेसिक कारण यह है कि हम टीचर्स को हम सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, उन्हें सही ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे हैं।

आज हमने एक नया सिस्टम पैदा कर लिया है और कंट्रेक्ट पर काम कराते हैं। आज टीचर हम टीचर्स को कंट्रेक्ट बेसिस पर रख रहे हैं। इस सिस्टम के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि क्या यह सिस्टम सही है या नहीं। आज लो पेड टीचर्स रख रहे हैं। उनकी मजबूरी है, वे क्या पढ़ाएंगे? जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा है, वह बीस-पच्चीस हजार रुपया रेग्यूलर टीचर ले रहा है। हम टीचर की जो परिभाषा दे रहे हैं कि विद्यार्थी मित्र टीचर हो, लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं देंगे, तो कैसे वे देश का भविष्य बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अगर हम अपना स्टैंडर्ड लो करेंगे और इस ज़माने में जबकि कम्पीटिशन का समय है और बच्चे चाहते हैं कि हमारे मार्क्स 90, 95, 98 प्रतिशत आएं। बच्चे आज 100 प्रतिशत मार्क्स लेना चाहते हैं, लेकिन वे पूरे मार्क्स कैसे लें?

परंतु लेंगे कैसे? When we have no qualified teachers, then, it means that we have no trained teachers. It requires that the basic qualification for teachers should be there. इस तरह से ये सारी बातें हैं और हम देख रहे हैं कि जो सारे देश में लगभग 7.72 लाख अध्यापक हैं, ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You can continue afterwards. Now, we are taking up the Half-an-Hour Discussion. We will continue it tomorrow.

...(*Interruptions*)